भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4730

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवरों के कार्यकौशल में वृद्धि करना

4730. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवरों (एएचपी) के कार्यकौशल में वृद्धि करने और उन्हें पुनःकुशल बनाने की तत्काल आवश्यकता से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा परिचारको, थिरेपिस्टों, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और तकनीशियनों सहित एएचपी के कौशल में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) इन पहलों के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार प्रशिक्षित स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवरों की संख्या कितनी है;
(घ) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है तथा अधिनियम के तहत स्थापित राज्य परिषदों का ब्यौरा क्या है;
(ड) क्या सरकार ने एएचपी की भर्ती और कार्यकौशल में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाने पर विचार किया है और यदि हां, तो ऐसे सहयोग का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार की राज्य में एएचपी के कौशल में वृद्धि करने और पुन: कौशल वृद्धि करने में सहायता के लिए समर्पित प्रशिक्षण केंद्र या कार्यक्रम स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार का ध्यान गुणात्मक नर्सिंग कार्यबल सुनिश्चित करने और उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने पर है। नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से, भारत सरकार राज्यों में कार्यान्वयन के लिए 100% वित्तपोषण के साथ नर्सिंग सेवाओं के विकास की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का वित्तपोषण करती है। इस योजना में नर्सों को विशेषज्ञता, सेवाकालीन प्रशिक्षण, स्कूलों का

सुदृढ़ीकरण और नर्सिंग स्कूलों का नर्सिंग कॉलेजों में उन्नयन करके अवसंरचना विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षाशास्त्र को मानकीकृत करने, शिक्षा के गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने, इस क्षेत्र में निम्न गुणवत्ता वाले संस्थानों की बेतहाशा वृद्धि को रोकने और इस प्रकार राष्ट्र को गुणवत्तापूर्ण सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसाय आयोग के रूप में एक केंद्रीय नियामक की स्थापना करके सहयोगी और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

(घ) से (च) : राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के तहत आयोग के सचिवालय को कार्यशील बनाया गया है, आयोग के संस्थानों और पेशेवरों के लिए वेबसाइट और नामांकन पोर्टल शुरू किया गया है, सहयोगी और स्वास्थ्य पेशेवरों का नामांकन आरंभ किया गया है और 10 पाठ्यक्रम भी अनुमोदित किए गए हैं।

25 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषदों की स्थापना की गई है।

*****